0157. सुब्रमनियम स्वामी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं लेकिन कार्यकर्ताओं को भटका रहे हैं और उनका समय बरबाद कर रहे हैं

01. सुब्रमनियम का राईट टू रिकाल पर झूठ- 1

मैंने सुब्रमनियम के दो झूठ का प्रमाण इकट्ठा किया है | एक कि सुब्रमनियम ने , अहमदाबाद में, 2000 लोगों की सभा में , बोला कि " जनता पार्टी ने अपने 1977 के घोषणा पत्र में राईट टू रिकाल का वायदा नहीं किया था | " उसके ये बयान ने मुझे झूठा बना दिया था, क्योंकि मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ कि " 1977 के जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राईट टू रिकाल को लागू करने का वायदा था |" जब सुब्रमनियम के बयान ने मुझे झूठा बना दिया , तो मेरे पास और कोई चारा / विकल्प नहीं रहा कि या तो ये साबित करूँ कि वो झूठा है या ये मान लूँ कि मैंने झूठ बोला है | देखिये, मैं ये कहता हूँ कि सुब्रमनिं स्वामी ने झूठ बोला था |

यहाँ दो प्रमाण / सबूत दे रहा हूँ -

1. पहला, कई कार्यर्ताओं से लगातार विनती के बावजूद, सुब्रमनियम ने 1977 का जनता पार्टी का घोषणा पत्र जनता पार्टी के वेबसाइट पर डालने से मना कर दिया | सुब्रमनियम जनता पार्टी का अभी अध्यक्ष और सांसद है | ये आश्चर्य ही है कि सुब्रमनियम जो भारतीय परंपरा और विरासत की बात करते हैं, वो अपने ही पार्टी , जिनके वे अध्यक्ष हैं, की विरासत और इतिहास को ठुकरा रहे हैं | 1977 का जनता पार्टी के घोषणा-पत्र ने उनको सांसद बनाया और ये इतिहास का एक दस्तावेज है क्योंकि ये भारत में पहले गरीर-कांग्रेसी सरकार का घोषणा पत्र है | इस घोषणा-पत्र की इतनी कीमत होने के बावजूद , सुब्रमनियम 1977 का जनता पार्टी का घोषणा-पत्र , जनता पार्टी के वेबसाइट पर डालने से मना करते हैं , क्यों ? सुब्रमनियम से पूछो | मेरा आरोप है कि यदि सुब्रमनियम ये घोषणा पत्र वेबसाइट पर डालते हैं, तो इससे उनका झूठ खुल जायेगा कि " जनता पार्टी के 1977 के घोषणा पत्र में राईट टू रिकाल का वायदा नहीं था "

2. बहुत गुग्गल करने के बाद, मुझे ये लिंक मिला है (देखें पन्ना "6 ASIA" या "recall" शब्द के लिए सर्च करें इस लिंक में --- http://www.larouchepub.com/eiw/public/1977/eirv04n09-19770229/eirv04n09-19770229.pdf)

इस लिंक में पोलिटिकल रिफोर्म का नंबर 8 पॉइंट कहता है ---

“(8) तारकुंडे समिति समेत सभी समितियां के सुझावों पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद चुनावी सुधर लाओ और विशेषकर भटके हुए विधायकों के रिकाल (वापिस बुलाना) के प्रस्ताव और चुनावी खर्चा कम करने के प्रस्ताव और मतदान की आयु 21 से कम करके 18 करने का प्रस्ताव |”
दूसरे शब्दों में, जनता पार्टी का 1977 के घोषणा पत्र में `राईट टू रिकाल` का स्पष्ट वादा है ! और सुब्रमनियम ने 2000 लोगों के सामने, टी.वी., प्रेस,आदि के सामने कहा कि --- जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा वायदा नहीं किया !!!

02. सुब्रमनियम का राईट टू रिकाल पर झूठ - 2

सुब्रमनियम हर जगह कहता है कि राईट टू रिकाल से अस्थिरता आएगी | मैंने इस बात में झूठ बताकर कई बार गलत ठहराया है | सुब्रमनियम के कई कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा प्रस्तावित राईट टू रिकाल की प्रक्रिया को सुब्रमनियम को बताया और कई बार दिखाया कि ऐसी प्रक्रिया से अस्थिरता नहीं आएगी | इसके बावजूद सुब्रमनियम हर जगह ये झूठ बोलता है कि राईट टू रिकाल के प्रक्रिया से अस्थिरता आएगी |

03. क्यों सुब्रमनियम स्वामी जनता पार्टी के 1977 के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलता है?

यदि सुब्रमनियम ये मान लेता है कि 1977 का जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राईट टू रिकाल था , तो अवश्य ही वो राजनैतिक मुसीबत में आ जाएगा | उसके अपने कार्यकर्ता, जिमें बहुत सारे `राईट टू रिकाल` के समर्थक हैं , पूछेंगे कि “ फिर आपने क्यों ये मुद्दा निकाल / छोड़ दिया ? “ और जयप्रकाश नरायण की इतनी जरूरी बात को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया ?

04. सुब्रमनियम स्वामी के द्वारा कुछ दिलचस्प बयान

सुब्रमनियम स्वामी ने नवंबर 2011 के अहमदाबाद के अपने भाषण में एक मजेदार बात कही थी | उसने कहा था कि क़ानून की शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए | मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और ये मेरी ये वर्षों से मांग रही है | लेकिन यदि ध्यान दें कि सुब्रमनियम 1990-91 में मंत्री-मंडल में क़ानून मंत्री थे | क्यों उन्होंने स्कूल में क़ानून पढाने का प्रस्ताव नहीं रखा उस समय ? और 1977-80 में भी जनता पार्टी में उनका अच्छा पद था | तब उन्होंने सांसद में कोई क़ानून बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा था ? और बाद में भी वे सांसद रहे थे | तो फिर उन्होंने स्कूल में क़ानून पढाने का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं रखा था सांसद में ?

दूसरे शब्दों में, वे सिर्फ बातें ही करते हैं ---- जब क़ानून बनाने की बात आती है, तो वो कुछ नहीं करते हैं | क्यों ? उनसे पूछिए |

अहमदाबाद की उसी सभा में , सुब्रमनियम ने बताया कि जुलिया रोबर्ट्स हिंदू बन गयी है और वहाँ बैठा आर.एस.एस. का जनसमूह ने तालियाँ बजानी शुरू कर दी | स्वामी ने जान-बूझकर ये नहीं बताया कि आंध्र प्रदेश के 15% की आबादी से ज्यादा और कुछ 35% आन्ध्र की दलित जनसंख्या इसाई बन गयी है !!!

और अंत में , जब सुब्रमनियम से भ्रष्टाचार समाप्त करने का रास्ता पूछा गया, तो सुब्रमनियम ने एक बहुत ही चतुर / चालाक जवाब दिया | उसने कहा " सनातन धर्म और सनातन मूल्य को बढ़ावा देना ही के रास्ता है !!!" दूसरे शब्दों में, हमें व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए , हमें जूरी सिस्टम नहीं चाहिए, हमें भ्रष्ट जनता के नौकरों को बदलने के तरीके / प्रक्रियाएँ नहीं चाहिए , हमें अपनी पोलिस और कोर्ट को सुधरने की कोई जरुरत नहीं, हमें केवल सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने कि जरुरत है.....और अचानक, अपने आप भ्रष्टाचार कम हो जायेगा, बांग्लादेशियों को निकाल दिया जायेगा , सेना में सुधार आ जायेगा आदि, आदि |

मैं तो ये बातें सदियों से सुनता आ रहा हूँ और इसे केवल कार्यकर्ताओं को सुस्त बनाने के लिए झूठी बात मानता हूँ | सच तो ये है कि जब तक आम-नागरिकों के पास अपने बुनियादी अधिकार नहीं होंगे, अधिकार पारदर्शी तरीके से शिकायत या राय देना जो दबाया नहीं जा सके, भ्रष्ट को बदलने और सज़ा देने का अधिकार , भ्रष्टाचार और देश के दूसरे बहुत बड़ी / ज्वलंत समस्याएं हल नहीं होंगी |

05. ज्यादातर घोटाले जो सुब्रमनियम स्वामी दावा करते हैं खुलासा करने का, पहले से ही जनता को मालूम थे |

उदहारण 2-जी घोटाले को लीजिए | ए.राजा ने मीडिया के सामने केवल कुछ ही घंटे दिए थे अर्जी और करोड़ों का चेक जमा करने के लिए , `पहले आओ पहले पाओ` योजना के शर्तों के तहत , 2-जी का लायसेंस पाने के लिए |

जिनको पहले से ही जानकारी दी गयी थी ए.राजा द्वारा, वे पहले से ही चेक और दूसरे दस्तावेजों के साथ तैयार थे |

http://www.ndtv.com/article/india/how-raja-misused-pms-letter-while-allocating-2g-licences-136810&cp पर अधिक पढ़ें |

06. सुब्रमनियम रिश्वत लेने के कोई भी प्रमाण कोर्ट में नहीं देते -

A. सबसे पहले ए.राजा पर दर्ज आरोपों पर विचार करें -

ये आरोप सुब्रमनियम ने ए.राजा और अन्य लोगों पर दर्ज किये थे -

" सरकारी नौकर द्वारा विश्वास का अपराधिक उल्लंगन "
" कोई भी अपराध को विश्वास का अपराधिक उल्लंगन :-

1. कोई जनता की संपत्ति की जिम्मेवारी या नियंत्रण होना चाहिए सरकारी नौकर के पास

2. जनता की संपत्ति का कोई व्यक्तिगत गलत प्रयोग या नाम परिवर्तन या प्रयोग या बिक्री कोई कानूनी निर्देश या कानूनी समझौते का उल्लंगन करते हुए |
3. जनता की संपत्ति का व्यक्तिगत गलत प्रयोग या नाम परिवर्तन या प्रयोग या बिक्री बेईमान उद्देश्य/नीयत से होनी चाहिए | "

(http://himachal.nic.in/home/Vigilance/ActsandRules.htm)

कृपया तीसरी बात (पॉइंट/बिंदु) पर विचार करें |

ये सिद्ध करना कि ए.राजा ने जो काम किया वो बेईमान उद्देश्य से किया , संभव नहीं है क्योंकि उसने रिश्वत लेने का कोई सबूत नहीं छोड़ा और शायद अपनी ली गयी रिश्वत कोई विदेशी गुप्त खाते में जमा की | विदेशी गुप्त खाते के बैंक का डायरेक्टर कभी भी ये गवाही नहीं देगा कि ए.राजा का उसके बैंक में गुप्त खता है क्योंकि उन बैंकों की पालिसी/ नीति नहीं है कि गुप्त खातों का खुलासा किया जाये |

इसी तरह , चिदंबरम के खिलाफ दर्ज आरोप हैं | ये सिद्ध हो सकता है कि चिदंबरम ने उल्लंगन किया है लेकिन ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि वो उल्लंगन अपराधिक है , यानी बेईमान उद्देश्य के साथ , यानी भ्रष्टाचार क्योंकि इसका साबुत नहीं दिया जा सकता सुब्रमनियम द्वारा |

फिर भी , मीडिया के सामने , सुब्रमनियम स्वामी ये दावा करते हैं कि वे भ्रष्टाचार को सामने लायेंगे और कम करेंगे, कोर्ट में मामले दर्ज करके |

सुब्रमनियम को अच्छी तरह मालूम है कि ये संभव नहीं है लेकिन वो सच्चे कार्यकता को भटका रहा है उन रास्तों से जो सचमुच भ्रष्टाचार कम करेंगे जैसे पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव

प्रणाली, मजबूत जूरी सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारी या नेता या जज को आम-नागरिक द्वारा बदलने के अच्छे तरीके आदि, |

B. सुब्रमनियम और सोनिया / राहुल गाँधी

1) क्या आप पता लगा सकते हैं कि सुब्रमनियम ने क्या किया जब **सोनिया गाँधी ने अपने शिक्षा के बारे में झूठी एफिडेविट दर्ज की** थी?

सुब्रमनियम ने दिल्ली के अशोक होटल में एक नामी / प्रसिद्द चाय पार्टी राखी थी , जिसमें सोनिया और जयललिता दोनों को बुलाया था | उसी चाय पार्टी का नतीजा था कि ए.आई.ए.द्रमुक ने वाजपयी सरकार को अपना समर्थन वापिस लिया और वाजपयी सरकार अप्रैल 1999 में गिर गयी -

सोनिया ने चुनाव आयोग को अपनी डिग्री का एक झूठा एफिडेविट दिया था ,जिसके खिलाफ/विरुद्ध सुब्रमनियम ने 2004 में हाई कोर्ट में केस फाइल किया था | इससे जजों को अन्य लोगों का इसी विषय पर जन हित याचिका ना लेना का बहाना मिल गया क्योंकि जज आम तौर पर मिलते जुलते विषय के जन-हित याचिका को या तो लेते नहीं हैं या तो एक साथ इकट्ठा कर देते हैं | सुब्रमनिं ने अपने जन हित याचिका में स्पष्ट किया था कि सोनिया के खिलाफ उसकी शिकायत केवल जुर्माना डालने के लिए थी , ना कि उसे चुनाव ना लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने पर |

http://news.outlookindia.com/printitem.aspx?474299

सोनिया गाँधी ने इसे गलती बताया था और माफ़ी मांगी थी और जज ने मामले को बिना कोई सज़ा दिए बंद करने के आदेश दिए थे | झूठी एफिडेविट दर्ज करने के लिए 6 महीनों की सज़ा हो सकती है और 6 सालों के लिए व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध हो सकता है | सुब्रमनियम ने ना तो सोनिया को जेल में डालने की मांग की थी ना तो उस जज पर महाभियोग (संसद में करवाई) चलाने की मांग की थी |

सुब्रमनियम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज कपाडिया बहुत ही ईमानदार जज हैं हालाँकि हमारा मानना है कि जज पोलिस हवाल्दारों से ज्यादा भ्रष्ट होते हैं | तो फिर सुब्रमनियम कपाडिया के पास क्यों नहीं जाते और उनसे सोनिया गाँधी के झूठे एफेदिवित के मामले को फिर से खुलवाने और सोनिया को 6 महीनों की जेल की सज़ा देने की मांग करते

? सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास , बिना किसी रोक/प्रतिबन्ध के ,कोई भी पिछले मामले को दुबारा खुलवाने का अधिकार होता है |

आपको किसी भी व्यक्ति की जांच उसके भाषणों से नहीं, उसके कार्यों से करनी चाहिए | सुब्रमनियम के सारे काम कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं |

2 जी के मामले से कांग्रेस को फायदा हुआ था क्योंकि दूरसंचार/टेलीफोन मंत्री का पद द्रमुक से छिन्न कर कांग्रेस को मिल गया |

सुब्रमनियम ने कहा था कि जज बालाकृष्णन बेईमान हैं , लेकिन वे अभी कहते हैं कि सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज ईमानदार हैं | तो यदि सुब्रमनियम ,कपाड़िया के कोर्ट में , सोनिया के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं, और जज कपाड़िया ईमानदार है, तो कपाड़िया को सोनिया को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए | कोई भी जांच की जरुरत नहीं होगी क्योंकि सोनिया ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया है सुप्रीम-कोर्ट में |

इसीलिए सुब्रमनियम स्वामी और अन्य नेताओं के प्रशंसको से विनती करें कि सुब्रमनियम और अन्य नेताओं को खुले आम बोलें कि वे जज कपाडिया को सोनिया गाँधी को झूठी एफिडेविट देने के लिए 6 महीनों के लिए जेल में डालें |

इससे देश को इस प्रकार लाभ होगा -

1. यदि सुबम्नियम और अन्य नेताओं के प्रशंसक उनको ये कहने के लिए मन कर देते हैं, तो ये साफ़ हो जायेगा कि सुब्रमनियम और अन्य नेताओं के प्रशंसक अपने नेताओं के नाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं , ना कि देश के बारे में |

2. यदि सुब्रमनियम और अन्य नेताओं के प्रशंसक उनको कपाडिया के पास सोनिया गाँधी को तुरंत जेल में डालने के लिए अर्जी डालने के लिए कहने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो या तो सुब्रमनियम और अन्य नेता मानेंगे या तो नहीं मानेंगे | यदि सुब्रमनियम या कोई एनी प्रिय नेता मना कर देता है, तो कमसे कम प्रशंसकों को ये तो पता चल जायेगा कि उनके प्रिय नेताओं का उद्देश्य सोनिया गाँधी को नुक्सान पहुँचाना नहीं है बल्कि सोनिया गाँधी को बचाना है |

3. यदि सुब्रमनियम या आपका प्रिय नेता कपाड़िया को कहते हैं सोनिया गाँधी को जेल में डालने के लिए और कपाड़िया सोनिया गाँधी को जेल में नहीं डालते , तो हमें पता चल जायेगा कि कपाड़िया कितने ईमानदार हैं |

4. और यदि कपाड़िया सोनिया गाँधी को झूठी एफिडेविट देने के लिए तुरंत जेल में डाल देते हैं, तो फिर इसका सारा श्रेय सुब्रमण्यम या आपके प्रिय नेता और कपाड़िया को जायेगा और देश का भला हो जायेगा |

===

इसीलिए कृपया भारत माँ पर कृपा करें | कृपया सुब्रमनियम और अन्य प्रिय नेताओं से कहें कि 15 दिनों के अंदर अपनी अर्जी दें सोनिया गाँधी को जेल में डालने के लिए कपाड़िया के पास और सोनिया को 30 दिनों में जेल में डालने के मांग करें और जो भी जवाब आयें उन्हें सार्वजनिक/खुला करें |.

2) **2 जी मामला -**

2 जी मामले में भी स्वामी ने सोनिया गाँधी को मदद की थी द्रमुक नेताओं को जेल में डाल कर और सुब्रमनियम ने सोनिया गाँधी की मदद की द्रमुक नेताओं को जेल करवा कर क्योंकि इससे द्रमुक की सौदा करने की शक्ति कमजोर हुई और कांग्रेस शक्ति शाली हो गयी और इसीलिए दूरसंचार/टेलीफोन मंत्रालय कांगेस को मिल गया | सोनिया को केवल फायदा हुआ क्योंकि जो रिश्वत का पैसा द्रमुक को जाता था , वो अब सोनिया गाँधी और कांग्रेस के सांसदों को जा रहा है | सुब्रमनियम स्वामी राईट टू रिकाल के सभी प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं ताकि सभी पार्टियों के सभी भ्रष्ट सांसद सुरक्षित रहें | यदि राष्ट्रिय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के ऊपर राईट टू रिकाल (बदलने का अधिकार) आ जाता है, तो सोनिया आम-नागरिकों द्वारा निकाली जायेगी |

चिदंबरम, जो कांग्रेस का एक भविष्य का प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, को निकालने का प्रयास भी सोनिया और उसके बेटे के प्रधनमंत्री बनने की सम्भावना बढ़ा देगा |

बंधुओं जागिये, ये व्यक्ति दावा करता है कि वो सोनिया के खिलाफ/विरुद्ध है , लेकिन उसके सारे कार्य सोनिया और विदेशी कंपनियों की मदद करते हैं |

सोनिया को नुक्सान पहुँचाने का सबसे अच्छा तरीका सुब्रमनियम स्वामी की पूजा करना और उसकी आरती उतरना नहीं है बल्कि राईट टू रिकाल प्रधान मंत्री के क़ानून-ड्राफ्ट का प्रचार करना है |

3) सोनिया गाँधी को भारत का प्रधान मंत्री ना बनने देने का सुब्रमनियम का झूठ -

http://knowyourswamy.blogspot.in/2011/08/swamy-prevailed-over-kalam-and.html

राष्ट्रपति भवन के प्रेस के रिकोर्ड ये साबित करते हैं कि उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलम ने कभी भी सोनिया के साथ भारत की नागरिकता के मुद्दा पर चर्चा नहीं की थी |

"**नागरिकता का मुद्दा की चर्चा श्रीमती सोनिया गाँधी के साथ नहीं हुई**

19-05-2004 : राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली

प्रेस सूचना (विज्ञप्ति)

ये कुछेक प्रेस में सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलम ने नागरिकता के मुद्दे को श्रीमती सोनिया गाँधी के साथ चर्चा हुई थी जब सोनिया गाँधी राष्ट्रपति के साथ कल राष्ट्रपति भवन में मिले थी | ये तथ्यों के विपरीत है | ये विषय/मुद्दा चर्चाओं में बिलकुल भी नहीं आया था |"
राष्ट्रपति की वेबसाइट पर 2004 की प्रेस सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि 2007 के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उनको हटा दिया गया था | लेकिन किसी को भी राष्टपति के सचिव से हार्ड कापी मिल सकती है |

इसका विकल्प लिंक प्रेस सूचना ब्यूरो(विभाग) का लिंक, मूल लिंक जितना ही विश्वसनीय है -: http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=1730

अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद , ए.पी.जे. अब्दुल कलम ने स्वयं ये ही बात स्पष्ट की थी एक इंटरविय्/साक्षात्कार में और राष्ट्रपति का उस समय के सचिव , पी.एम्.नायर. ने भी अपनी पुस्तक " थी कलम इफेक्ट : माय यिरस विथ थी प्रेसिडेंट " इसको और प्रमाणित किया है |

4) सुब्रमनियम और चिदंबरम -

http://www.knowyourswamy.blogspot.in/2012/02/swamy-uncovered.html

"पंजाब केसरी के पत्रकार जी.एस.चावला के हाल ही के एक लेख के अनुसार , सुब्रमनियम और उसके हार्वर्ड के शिष्य के बीच अनबन 1990 के बीच के दशक के एच.डी. देवे गौड़ा सरकार के समय हुई थी | चिदंबरम उस समय वित्त (पूंजी) मंत्री थे |
चावला लिखते हैं : "लोग ये नहीं जानते कि सुब्रमनियम स्वामी विवादस्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी और अपोलो हस्पताल के डा. प्रताप रेड्डी के करीब रहे हैं | वे सभी चंद्रास्वामी के

द्वारा बनायीं गयी एक ट्रस्ट के सदस्य थे | प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत बड़ी गडबडियां पायी थी उस ट्रस्ट के खतों में , जिसमें कुछ विदेशी मुद्रा जमा थी | वित्त मंत्रालय ने उस समय के सभी तीन ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाई की योजना बनायी थी | “

केसरी का ये लेख ये आरोप लगता है कि जब ट्रस्ट के एक सदस्य ने पूर्व के मुख्य सरकारी वकील जी. रामास्वामी से मिलकर कोई समझौता करवाने की कोशिश की, तो भी चिदंबरम ने पीछे हटने से मना कर दिया | अंत में पूर्व प्रधान-मंत्री चंद्रशेखर को बीच में आकर ये सुनिश्चित करना पड़ा कि देवे गौड़ा करवाई को रोक दें |
2-जी के घोटाले ने इस कारण सुब्रमनियम को एक अच्छा मौका दिया ये पूरानी शत्रुता का हिसाब चुकाने के लिए |

http://www.firstpost.com/politics/subramanian-swamy-uncovered-doting-wife-leftist-brother-and-more-212638.html

07. सुब्रमनियम और चुनावी यंत्र

सुब्रमनियम स्वामी ये दावा करते हीं कि वे चुनाव यंत्र के विरोधी हैं | तो फिर कोई ये समझा सकता हैं कि सुब्रमनियम अपने समर्थकों से कोई भी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार बनने के लिए क्यों नहीं कहते ताकि हरेक चुनाव क्षेत्र में 65 या ज्यादा उम्मीदवार हों और चुनाव आयोग (चुनाव करवाने वाली सरकारी संस्था) मतदान पत्र का प्रयोग करने पर मजबूर हो जाये ? (क्योंकि चुनाव यंत्र एक चुनाव क्षेत्र में 64 से ज्यादा उम्मीदवार के लिए प्रयोग नहीं हो सकता)
और ये संभव है क्योंकि ये तरीका को सफलता से आंध्र उप-चुनावों में तेलंगाना राष्ट्रिय समिति पार्टी द्वारा प्रयोग किया था | इसका लिंक विवरण में देखें |

लेकिन ये तरीके का प्रयोग करने के बदले सुब्रमनियम कार्यकर्ताओं का समय बेकार के कोर्ट के मामलों में क्यों बर्बाद कर रहा है, जहाँ जज ने अभी तक आने वाले चुनावों के लिए चुनाव यंत्र पर प्रतिबन्ध लगाने से मन कर दिया है ?

एक उम्मीदवार के लिए जमा राशि 10,000 रुपये है और 65 उम्मीदवारों के लिए कहें 7 लाख कह्चा आएगा | जहाँ करोड़ों रुपये खर्च होते हैं एक चुनाव क्षेत्र में , ये पैसा कुछ भी नहीं है | भारत में 800 विधायक की चुनाव क्षेत्र हैं, तो कुल मिलकर 56 करोड़ खर्च आएगा | सुब्रमनियम राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन (रा.ज.ग) में जुड़ रहे हैं | देखिये, ये पैसा कुछ भी नहीं है रा.ज.ग. के लिए |

सुब्रमनियम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि रा.ज.ग. को ये तरीके का उपयोग करने के लिए अपील करें | मैं ये नहीं कहता कि सुब्रमनियम ये पैसा स्वयं खर्च करें लेकिन , अपील

करने में एक भी पैसा नहीं लगता | सुब्रमनियम क्यों मना कर रहे हैं अपील करने से सभी ईमानदार नेताओं को हर चुनाव क्षेत्र में एक-दो उम्मीदवारों को पैसा देने के लिए ताकि हर चुनाव क्षेत्र में कम से कम 65 उम्मीदवार हों और चुनाव यंत्र का प्रयोग या धन्द्ली ना हो सके ?

क्या हम ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो तुला हुआ है कि कार्यकर्ताओं को समय बर्बादी करने वाले और बेकार रास्ते बताने में ?
यदि सुब्रमनियम सच में चुनाव यंत्र के विरोधी हैं , तो वो कम से कम सभी संस्थाएं और पार्टियां जैसे भा.जा.पा, कोम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया अगेंस्ट कर्रप्शन, आदि से 65 या ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने के लिए बोल सकते हैं | ये संस्थाओं के पास काफी पैसा है ये कार्य करने के लिए | सभी नहीं , तो ये पार्टियां/संस्थाएं कुछ एक आध चुनाव क्षेत्र में तो ऐसा कर ही सकती हैं |
इसके बाद सुब्रमनियम को नागरिकों को बोलना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री को राईट टू रिकाल चुनाव आयोग अध्यक्ष की प्रक्रिया को भारतीय राजपत्र में छापने के लिए मजबूर करें | और सबसे कम प्रभावशाली/कारगर/काम करने वाल तरीका है कोर्ट के धक्के खाना |

सुब्रमनियम क्यों नहीं अपील करते एक चुनाव क्षेत्र में 65 या ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने के लिए ? क्यों वे समय-बर्बादी के तरीके जैसे कोर्ट के चक्कर लगाना, पर जोर दे रहे हैं , जब हमें मालूम है कि जज भ्रष्ट हैं ? क्यों वे चुनाव आयोग के कमिश्नर पर राईट टू रिकाल का समर्थन करने से इनकार कर रहे हैं ? क्यों वे केवल बेकार तरीकों पर जोर देते हैं ?
65 या ज्यादा उम्मीदवार एक चुनाव क्षेत्र में खड़ा करना हाल ही के आन्ध्र प्रदेश के 2010 के 12 उपचुनावों में कामयाब हुआ था | आप गूगल करेंगे तो इसका लिंक मिल जायेगा | और वोट भी नहीं बांटते क्योंकि अतिरिक्त उम्मीदवार प्रचार भी नहीं करते |

एक प्रश्न आता है कि क्या यदि चुनाव आयोग दो चुनाव यंत्र का प्रयोग करे एक बूथ के लिए ? फिर चुनाव यंत्र एक चुनाव क्षेत्र में 128 उम्मीदवार का समर्थन कर सकेगा ?

उत्तर - चुनाव आयोग ने इसके बारे में सोचा था , लेकिन ये योजना रद्द करनी पड़ी क्योंकि ये मतदाता के गोपनीयता (गुप्त होना) को तोड़ता है | क्योंकि जिस चुनाव यंत्र का वो प्रयोग करे उसके अनुसार पता चल जायेगा कि उसने किसको वोट नहीं दिया है |
अधिकतर राजनैतिक पार्टियों के शीर्ष के नेता चुनाव यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं अमेरिकी दबाव के कारण | कोई भी पार्टी सिवाय तेलंगाना राष्ट्रिय समिति ने अपने कार्यकर्ताओं को 65 उम्मीदवारों को रखने से मना कर दिया है | अडवानी ने भी एक चुनाव क्षेत्र 65 या जयादा उम्मीदवार खड़े करने से मना कर दिया है |
चुनाव यंत्र में जो चिप है वो अमेरिका में बनी है | यदि 5-10 लोग भी भेल में (वो कंपनी जो चुनाव यंत्र बनाती है) आपस में मिल जाते हैं, तो ये संभव है किसी उम्मीदवार को 20%

वोट देने के लिए , उम्मीदवार का चुनाव यंत्र पर नंबर बाद में पता चले तो भी | कैसे ? इसके लिए http://righttorecall.info/evm1.pdf देखें |

और एक यू-ट्यूब विडियो भी है हमारे चेनेल पर जो दिखाता है कि कैसे चुनाव यंत्र की धांधली हो सकती है दूर से रेडियो सिग्नल भेज कर यदि भेल में चुनाव यंत्र में एक सरकिट रखा जाये |
अभी यदि चुनाव यंत्र में धांधली होती है , तो कांग्रेस या भा.जा.पा. ये करने में समर्थ नहीं है और कोई भी पार्टी इस यू-ट्यूब विडियो को मुख्य मीडिया पर आने से नहीं रोक सकने में समर्थ नहीं है | केवल अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी चुनाव यंत्रों की बड़े स्तर पर धांधली करवाने में समर्थ है और केवल विदेशी कम्पनियाँ , जो बहुत सारे चेनेल और समाचार पत्र को पैसा देते हैं , ये यू-ट्यूब विडियो को मीडिया में आने से रोकने में समर्थ हैं |

====

मैंने जुलाई 31, 2009 को एक समाचार पत्र में एक प्रचार दिया था जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को विनती की थी कि वे चुनाव का फॉर्म भरें और ये प्रयत्न करें कि एक चुनाव क्षेत्र में 65 या ज्यादा उम्मीदवार खड़े हों ताकि चुनाव आयोग को मतदान पत्रों का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़े | मेरी आवाज अकेली थी लेकिन कम से कम मैंने अपना कर्तव्य निभाया |

===
सुब्रमनियम स्वामी से मैंने फोन पर बात की थी | उसने बोला कि उसे ये बात मालूम है कि चुनाव यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता यदि एक चुनाव क्षेत्र में 64 से ज्यादा उम्मीदवार हों तो | उसने वायदा किया था कि वो सभी नेताओं को अपील करेगा ऐसा करने के लिए और मीडिया में भी ये बात बताएगा, लेकिन उसने अभी तक अपना वायदा नहीं निभाया |

====
एक ही कारण है, क्यों मीडिया वाले सुब्रमनियम स्वामी को बढ़ावा देते हैं, है कि जो लोग मीडिया का प्रयोजन करते हैं , देखते हैं कि सुब्रमनियम कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहा है और कार्यकर्ताओं की सुस्ती को बढ़ावा दे रहा है , कोर्ट के मामलों से झूठी उम्मीदें लगवा कर |
कार्यकर्ता ये देखते हैं कि सुब्रमनियम ऊंचे-दर्जे के मामले दर्ज कर रहा है और बिके हुए मीडिया वाले झूठी आशाएं पैदा करते हैं कि इन मामलों का कुछ अच्छा परिणाम आएगा |

इसीलिए वे सुस्त हो जाते हैं | सुब्रमनियम के चुनाव यंत्र के मामले में समय बर्बाद करने वाले तरीकों पर विचार करें | यदि कोई बड़े स्तर पर चुनाव यंत्रों में धांधली कर सकता है ,

तो वो विदेशी कंपनी या अमेरिकी ख़ुफ़िया संस्था है | और सुब्रमनियम हम को ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि भ्रष्ट और भाई-भतिजेवाद करने वाले (रिश्तेदारों की तरफदारी करने वाले) हाई-कोर्ट के जज विदेशी कंपनियों और अमेरिकी ख़ुफ़िया संस्था का विरोध करेंगे !! और जब सुब्रमनियम ने चुनाव यंत्र का मामला दर्ज किया और बिकी हुई मीडिया ने उसको हीरो बनाया , तो चुनाव यंत्र के खिलाफ असली काम (यानी कि जिम्मेदार नागरिक एक चुनाव क्षेत्र में 65 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करवाएं) समाप्त हो गया | दूसरे शब्दों में चुनाव यंत्रों को जीवन मिला स्वामी के बेकार के कोर्ट ड्रामा के कारण |

08. अभी हम सुब्रमनियम और राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ के प्यार और नफरत के बदलते रिश्ते के बारे में बात करते हैं

सुब्रमनियम विश्व हिंदू परिषद पर बैन चाहता है (Jan 23,2001)-

http://hindu.com/2001/01/23/stories/02230009.htm

(हमारे विशेष संवादाता द्वारा)

चेनई , जनुअरी 22.

जनता पार्टी के अध्यक्ष डा.सुब्रमनियम स्वामी , ने आज राष्ट्रपति से गुहार लगई के वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल को बोलें कि वो विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगाये और राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम के तहत उसके सभी पदाधिकारियों को कैद करे |

“विश्व हिंदू परिषद की सरकार से ये मांग कि वे मार्च 2002 तक अयोध्या में राम मंदिर को बनाने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाये, एक आतंकवादी कार्य था और क़ानून को अपने हाथों में लेने और संविदान को नीचा दिखाने और उसे बदनाम करने का एक प्रयत्न था “ सुब्रमनियम ने अपने बयान में कहा |

सुब्रमनियम ने कांची के आचार्य की मध्यस्थ की आलोचना की (मार्च 7,2002)

http://www.hindu.com/thehindu/2002/03/07/stories/2002030706261100.htm

विश्वहिंदू परिषद के नेताओं पर पोटा लगाओ (मार्च 8, 2002)

http://hindu.com/2002/03/08/stories/2002030802570400.htm

http://janataparty.org/pressdetail.asp?rowid=18

सुब्रमनियम स्वामी ने कहा " आर.एस.एस एक राष्ट्र-विरोधी संगठन है | जितनी जल्दी उसको तोड़ दिया जाये, उतना भारत के लिए अच्छा है | आज आर.एस.एस. और भा.जा.पा. पूरी तरह से अधिकार-हीन के बिना है, मैं उनको अधिक मूल्य नहीं देता |"

http://www.rediff.com/news/1998/mar/17sswamy.htm

सुब्रमनियम स्वामी ने कहा कि " यदि स्वदेशी से आपका मतलब है कि आप केवल वो ही प्रयोग करोगे जो भारत में बना है, तो ये बिलकुल ही अप्रचिलित सिद्धांत है | उतना ही अप्रचलित , जितना की मार्क्सवाद | "

http://www.rediff.com/news/1998/mar/21swamy.htm

09. सेतुसमुद्रम योजना पर अदालत में मामला और सुब्रमनियम

सेतुसमुद्रम योजना भा.जा.पा.-द्रमुक गठबंधन (रा.ज.ग.) द्वारा शुरू की गयी थी | लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने भ.जा.पा को मजबूर किया था कि वो इस योजना/प्रोजेक्ट पर काम बंद करें और इसीलिए भा.जा.पा.-द्रमुक का गठबंदन टूट गया और भा.जा.पा ने खुले आम इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया जब उसके हाथ से सत्ता चले गयी |
सेतुसमुद्रम योजना कई विशेषज्ञों के अनुसार संभव नहीं है | इसीलिए अधिक सम्भावना है कि इसे लागू नहीं किया जाये लेकिन करोड़ों रुपये पहले से ही खर्च किये जा चुके हैं |

http://internationalpost.blogspot.com/2007/10/dream-and-reality-sethusamudram-ship.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sethusamudram_Shipping_Canal_Project

10. सुब्रमनियम स्वामी और जयललिता

http://www.knowyourswamy.blogspot.in/2011/09/when-foes-turned-friends.html

"जब दुश्मन दोस्त बन गए

डा. सुब्रमनियम ने ये रिकोर्ड पर कहा है कि जयललिता ने उसे 12 बार जान से मारने की कोशिश की थी | जब सुब्रमनियम ने 1990 के शुरू के दशक में जयललिता के सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो जयललिता उसे मछार की तरह मसलना चाहती थी | उसने पूर्व आई.ए.एस अफसर और आज की जनता पार्टी की तमिलनाडु की अध्यक्ष, चंद्रलेखा का समर्थन किया था जब चंद्रलेखा ने कहा था कि जयललिता ही उसपर तेज़ाब के हमले के पीछे

है | ये सब भुला दिया गया जब एक दिन जून 1997 में दोनों एक मंच पर आये पद के फायदे के लिए | इसका समापन 1999 में वाजपेयी सरकार के गिरने से हुआ |

11. क्यों आर.एस.एस. / भा.जा.पा. , स्वामी रामदेव आदि सुब्रमनियम स्वामी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं

मुझ से एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है --- यदि सुब्रमनियम स्वामी इतने बुरे हैं जितना मैं बोलता हूँ , तो फिर संघ और भा.ज.पा के नेता सुब्रमनियम स्वामी का साथ क्यों दे रहे हैं ?

देखिये , विदेशी कंपनियों के मालिक / ईसाई धर्म प्रचारकों ने 2010 में देखा था कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है | इसीलिए विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों ने मीडिया, स्वयं-सेवी संस्थानों और जजों जिनको वे प्रायोजक हैं , का प्रयोग करके नकली कांग्रेस विरोधी अन्ना और अब सुब्रमनियम स्वामी जैसे लोग खड़े कर दिए जो कांग्रेस-विरोधी युवकों के लिए अब आकर्षण का केन्द्र बन गए हैं |

विदेशी कंपनियों द्वारा पैसे दिए गए टी.वी. चैनलों का इतना प्रभाव रहा कि अप्रैल-08-2011 को, जब हमलोगों ने कहा कि अन्ना फोर्ड फौंडेशन के एजेंट हैं और जनलोकपाल केवल विदेशी कम्पनी-पाल है विदेशी कंपनियों के मालिकों के फायदे के लिए , तो लोगों ने हमें कांग्रेस एजेंट बुलाना शुरू कर दिया !!

तो अभी यदि भा.ज.पा /संघ के लोग अन्ना/सुब्रमनियम को उनके यहाँ स्थान नहीं देते , तो फिर 2014 में कांग्रेस विरोधी जनमत बंटने की सम्भावना का सामना करना पढ़ेगा |

मान लीजिए कि अन्ना और सुब्रमनियम एक पार्टी बना लेते हैं और 2014 में चुनाव लड़ते हैं , तो फिर वे कांग्रेस-विरोधी 2-4 % वोटों पर कब्ज़ा कर सकते हैं , जिसका मतलब भा.ज.पा को पूरे देश में 20 से 40 सीटों का नुक्सान हो सकता है | इसीलिए भा.ज.पा/संघ के नेता और जो भी कांग्रेस से नफरत करते हैं, के पास कोई भी चारा नहीं रहता कि अन्ना और सुब्रमनियम के साथ काम करें | और उनके पास कोई भी चारा नहीं रहता , सिवाय इसके कि वे अपमान को सहें कि सुब्रमनियम ने वाजपाई सरकार को गिराया था और सोनिया को 1999 में प्रधानमंत्री की कोशिश की थी और ये अपमान सहें कि सुब्रमनियम ने 2001 में विश्व हिंदू परिषद पर राष्ट्रिय सुरक्षा क़ानून के तहत प्रतिबन्ध लगाने की मांग की थी और ये भी कि सुब्रमियम ने संघ को देश-विरोधी संस्था कहा था , आदि ,आदि |

इसीलिए कांग्रेस-विरोधी वोटों को बंटने से रोकने के लिए, भा.ज.पा के नेताओं के पास कोई चारा नहीं है, कि अन्ना , सुब्रमनियम आदि को खुश रखा जाये |

इसीलिए , मुख्य कारण कि क्यों आर.एस.एस./भा.जा.पा./स्वामी रामदेव अभी सुब्रमनियम का विरोध नहीं कर रहे हैं , आप अंध-भक्त खुद हो , जो बिकी हुई मीडिया को अंधे होकर विश्वास करते हैं |

====

ये ही मुख्य कारण है कि हम राईट टू रिकाल आदि जन-हित के कानूनों के लिए एक असली जन-आन्दोलन चाहते हैं , बिना मीडिया के समर्थन के , जनलोकपाल जैसा नकली आन्दोलन नहीं जो केवल मीडिया द्वारा प्रचारित था | इस जन आन्दोलन द्वारा नेताओं को ये जन-हित के क़ानून भारतीय राजपत्र में डालने के लिए मजबूर किया जा सकता है |

हम " चुनाव जीतो और राईट टू रिकाल के नियमों को बनाओ " जैसे असफल तरीके नहीं अपनाते क्योंकि जैसे ही आप " चुनाव जीत ओ और अच्छे क़ानून बनाओ" का रास्ता लेते हो, तो आपको उन सब लोगों के साथ समझौता करना पड़ेगा जो वोटों में फूट डाल सकते हैं , और उनमें से कई लोग विदेशी कंपनियों के मालिकों , जिनका मीडिया और जजों पर प्रभाव है , द्वारा खड़े किये गए हों |

इसीलिए सभी से निवेदन हिया, कि कृपया राईट टू रिकाल के क़ानून-ड्राफ्ट पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रिय नेताओं के सामने राईट टू रिकाल के तरीके लागू करवाने कि मांग करें |

12. सुब्रमनियम और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई)

सुब्रमनियम ने परचून/खुदरा में एफ.डी.आई और वर्ल्ड ट्रेड ओर्गानाईसेशन के समझौते को जोर-शोर से समर्थन किया था जब वे चंद्रशेखर के सरकार में व्यापार और क़ानून मंत्री थे | उसने स्वदेशी लोगों को जाली और झूठा कहा था |

http://www.rediff.com/money/2005/feb/24swamy.htm

आजकल , सुब्रमनियम ने अपने एफ.डी.आई के बयानों पर पलटी मारी है और एफ.डी.आई का विरोधी बन गया है लेकिन उसके सारे कार्य अब भी विदेशी कंपनी जैसे वोडाफोन आदि को फायदा पहुंचा रहे हैं | उदहारण , उसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकपाल आदि पर राईट टू रिकाल का विरोध करने से विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है क्योंकि बिना राईट टू रिकाल आम जनता विदेशी कंपनियों द्वारा ख़रीदे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकपाल आदि

को बदल नहीं सकेंगे |
और इसके साथ ही वो अपनी खुद की प्रशंसा करता है कि वो ही था जिसने ये भारतीय बाजार के वैश्वीकरण किया , मनमोहन सिंह ने नहीं किया था |

13. सुब्रमनियम कार्यकर्ताओं को क्यों भटका रहे हैं ?

साफ़ है, कि वे ऐसा पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, शायद वे नाम पाने के लिए कर रहे हैं , लेकिन जो भी कारण हो, ये साफ़ है कि उनका कोर्ट का ड्रामा ,कोर्ट का अभियान / मुहिम केवल कार्यकर्ताओं का समय बरबाद कर रही है और उससे भ्रष्टाचार बिलकुल भी कम नहीं हो रहा है |
सच्चाई ये है कि 99% बड़े भ्रष्टाचारों में , कि भी साबुत नहीं होता | बिना सबूतों के भ्रष्ट को कभी सज़ा नहीं होगी | इसीलिए सुब्रमनियम अपने 15 सालों की कोर्ट की करवाई में एक भी आरोपी को सज़ा नहीं दिलवा सके हैं | और बिना भ्रष्ट को सजा हुए, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा | इसीलिए जो कोर्ट के चक्कर लगा कर भ्रष्टाचार से लड़ने का रास्ता सुब्रमनियम दिखा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, वो एकदम बेकार है |

14. कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए ?

कार्यकर्ताओं को अब क़ानून-ड्राफ्ट (कानून का नक्शा) और प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए , जो देश की बड़ी समस्यों को हल करेंगे बजाय कि कोर्ट ड्रामा के या नेताओं और बुद्धिजीवियों को अंधे होकर मानना |
आम-नागरिकों को केवल उन नातों या बुद्धिजीवियों का समर्थन या पालन करना चाहिए जिनके घोषणा-पत्र या वेबसाइट पर अच्छे प्रक्रियाएँ हों , जो देश की बड़ी समस्यों का हल कर सकें , ना कि उन नेताओं/बुद्धिजीवियों का पालन या समर्थन करें जो केवल बीके हुए मीडिया द्वारा प्रचार किये गए भाषण देते हैं | और ये सभी आम-नागरिकों का कर्तव्य /फर्ज है कि ऐसे नेताओं और बुद्धिजीवियों की पोल खोलें जो कार्यकर्ताओं को झूठ बोलें और उनको ऐसे समय बरबाद करने वाले कार्य जैसे कोर्ट ड्रामा में लगाये और असली समाधान जैसे भ्रष्ट को बालने के आम-नागरिकों के लिए तरीके, और अन्य जनहित के क़ानून-ड्राफ्ट से भटकाएँ |